2010

समेकित स्वास्थ्य एंव पोषण जागरूकता तथा शिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत

ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति एक दिवसीय प्रशिक्षण मार्गदर्शिका

Bal Sansar

कार्यालयः— बाल संसार,

बी.88, बजाज नगर,

जयपुर (राजस्थान)

प्रस्तावना

ग्राम स्वास्थ्य समिति प्रशिक्षण माड्यूल उन प्रशिक्षकों के लिए लिखा गया है जो ग्राम स्वास्थ्य समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण देंगे।

हमारा यह मानना है कि ग्राम स्वास्थ्य समिति के प्रत्येक सदस्य को इस समिति के कार्य , भूमिका व उद्देश्यो की जानकारी की जरूरत होती है । प्रशिक्षकों से यही उम्मीद है कि वे ग्राम स्वास्थ्य समिति के प्रत्येक सदस्य को इसके बारे में बतायेगें ।

ग्राम स्वास्थ्य समिति जनप्रतिनिधियो का संगठन होता है जो कि गॉव के स्वास्थ्य के मुद्दों पर कार्य करवाना, सदस्यो द्वारा कार्य योजना बनाना तथा योजना के आधार पर कार्यो की समीक्षा करना तथा इस समिति में आने वाले फंड सम्बधी मुद्दो पर चर्चा करना । इन सभी मुद्दो पर सभी सदस्यों को समझाया जायेगा।

इस माड्यूल का उद्देश्य है ग्राम स्वास्थ्य समिति के सभी सदस्यों को प्रशिक्षण देकर इस समिति के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देकर जागरूक करना है।

हमें आशा है कि इस माड्यूल का उपयोग करने वाले सभी प्रशिक्षक ग्राम स्वास्थ्य समिति के सदस्यों के साथ सहजता, संवेदनशीलता और संयम बरतते हुए इन प्रशिक्षण को अंजाम देंगे।

डॉ. प्रियंवदा सिंह

बाल संसार संस्था –जयपुर

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	1
2.	स्वागत एंव पंजीकरण	3
3.	कार्यशाला / शिविर के नियम	5
4.	संस्था का परिचय	6
5.	ग्राम स्वास्थ्य समिति के बारे में जानना	
	➢ गठन की आवश्यकता पर चर्चा	
	➢ समिति क्या है ?	
	➢ सदस्य कौन – कौन होतें है ?	
	➢ सदस्यों की भूमिका	
6.	ग्राम स्वास्थ्य समिति के कार्य व उद्देश्य के बारे में जानना	
7.	अनटाइड राशि क्या होती है?	
8.	अनटाइड राशि के उपयोग की समझ बनाना	
9.	मासिक बैठक संम्बन्धी चर्चा।	
10.	फिड बैक व समापन	

सत्र का नाम — **स्वागत एवं पंजीकरण**

उद्देश्य

इस सत्र के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- सम्भागियों से सम्बन्धित जानकारी नाम, पता, उम्र आदि ज्ञात करना।
- सम्भागियों के मनोबल में वृद्धि करना।
- स्वागत से उत्साहवर्द्धन करना।

आवश्यक सामग्री

- पंजीकरण प्रपत्र, पैन, सम्भागी किट, सन्दर्भ सामग्रीं ।

समय

- 30 मिनिट

विधा

- सबसे पहले सम्भागियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत करना अपेक्षित है।
- उसके बाद सम्भागियों का पंजीकरण करने के लिए उनके हस्ताक्षर उपस्थिति रजिस्टर में करवाने चाहिए।

संभावित अपेक्षायें

- प्रशिक्षण हेतु वातावरण निर्माण।
- सम्भागियों में परस्पर मित्रवत व्यवहार।
- सम्भागियों में आपस में एक दूसरे के प्रति जानकारी प्राप्त होगी।

सत्र का नाम कार्यशाला के नियमः

उद्देश्य

- कार्यशाला के सुचारू संचालन हेतु नियमों का निर्धारण।
- कार्यशाला में अनुशासन बनाये रखने हेतु सम्भागियों की सहभागिता।

समय 30 मिनिट।

आवश्यक सामग्री कार्डशीट, मार्कर पैन।

विधा समूह चर्चा, खुली चर्चा, ।

इस सत्र में सम्भागियों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कुछ नियम बनाए जाएंगे। ये नियम स्वयं सम्भागियों की मदद से ही बनाए जाएंगे जिसे प्रशिक्षक बड़े चार्ट पेपर पर लिखते जाएंगे। ये नियम निम्न प्रकार हो सकते हैं –

- सभी के प्रति सम्मान।
- समय की पाबंदी।
- सभी को सुनें।
- सभी लोग सहभागिता करें।
- अन्य सम्भागियों की मजाक नहीं करें।

उपरोक्त नियम लिखी कार्डशीट को दीवार पर लगायें एवं सम्भागियों से अतिरिक्त नियमों के बारे में पूछें एवं सम्भागियों द्वारा बताये गये नियमों को कार्डशीट में जोड़ें।

संभावित अपेक्षाऐ

- सम्भागी कार्यशाला के नियमों से परिचित हो सकेंगे।
- परस्पर सहभागिता की भावना का विकास होगा।
- सम्भागियों में परस्पर साझी समझ का विकास होगा।

सत्र का नाम ग्राम स्वास्थ्य समिति के बारे में जानना

उद्देश्य

- सम्भागियों की ग्राम स्वास्थ्य समिति के बारें में समझ को जानना वा उनको इसके बारें में समझाना।
- सत्र के बारे में सन्दर्भ सामग्री देना।

समय 1:30 मिनिट

आवश्यक सामग्री कार्डशीट एवं मार्कर पैन।

विधा लधु भाषण ,सामूहिक चर्चा।

संभावित अपेक्षाऐ

- सम्भागियों की ग्राम स्वास्थ्य समिति के बारें में समझबनेगी।
- सभी सम्भागियों को अपनी –अपनी भूमिकाओं के बारें में स्पष्टता से जानकारी प्राप्त हो सकेगी ।
- ग्राम स्वास्थ्य समिति के सदस्यों के बारें मे स्पष्ट समझ बनेगी।

संदर्भ सामग्री

ग्राम स्वास्थ्य समिति :

- राज्य में ग्राम स्वास्थ्य समिति का गठन प्रत्येक आवासीय राजस्व गॉव में चयनित जनप्रतिनिधि की अध्यक्षता में किया गया है।
- स्वास्थ्य सेवाओं के विकेन्द्रीकरण के तहत वर्ष 2008–09 में प्रत्येक राजस्व गाँव के स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है।
- ग्राम स्वास्थ्य समिति का मुख्य कार्य ग्राम स्वास्थ्य योजना का निमार्ण योजना की क्रियान्विति तथा स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी करना है।
- यह समितियाँ स्वास्थ्य के मुद्दों पर ग्रामीणों को जागरूक करेगीं तथा गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक होगीं।
- ग्राम स्वास्थ्य समिति की मासिक बैठक मातृ शिशु एंव पोषण दिवस पर आयोजित करने का प्रावधान रखा गया है

ग्राम स्वास्थ्य समिति का ढॉचा :

क्र. स.	सदस्यों का विवरण	सदस्य संख्या
1	गाँव से चयनित जनप्रतिनिधि (अध्यक्ष)	1
2	आशा सहयोगिनी (सदस्य सचिव)	1
3	ए.एन.एम. (सदस्य)	1
4	मातृत्व स्वास्थ्य समिति के प्रतिनिधि (सदस्य)	1
5	स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि (सदस्य)	1
6	आंगनबाडी कार्यकर्ता (सदस्य)	1
7	स्थानीय गैर सरकारी संगठना के प्रतिनिधि (सदस्य)	1

- ग्राम स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष ग्राम पंचायत के चयनित जनप्रतिनिधि होगें। महिला जनप्रतिनिधि तथा अनुसूचित जाति व जन जाति के सदस्यों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- इस समिति में कम से कम 50 प्रतिशत महिला सदस्यों को सम्मलित किया जायेगा।

ग्राम स्वास्थ्य समिति के सदस्यो की भूमिका :

- आशा सहयोगिनी ग्राम स्वास्थ्य समिति की संयोजक होती है। आशा सहयोगिनी द्वारा ग्राम स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन ए.एन.एम की सहायता से करवाया जाएगा। बैठक के आयोजन करने के लिए आशा को प्रति बैठक 100 रू. देने का प्रावधान किया गया है।
- जिन गाँवों में आशा का चयन नहीं हुआ है, उन गाँवों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अथवा आंगनबाडी सहायिका इस समिति की सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगी।
- ग्राम स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष ग्राम पंचायत के चयनित जनप्रतिनिधि (संरपच) व ए.एन.एम का संयुक्त खाता होता है।
- गॉव के स्वास्थ्य मुद्दो पर सभी सदस्य मासिक बैठको में आकर स्वास्थ्य हेतु योजना निर्धारण करना व इस योजना में मदद करना।

सत्र का नाम ग्राम स्वास्थ्य समिति के कार्य व उद्देश्य

उद्देश्य

- ग्राम स्वास्थ्य समिति के कार्यो के बारे में जानकारी देना।
- ग्राम स्वास्थ्य समिति के उद्देश्यों के बारे में बताना व सम्भागियों की समझ बनाना।

समय 1 घन्टा

आवश्यक सामग्री

- मार्कर व कार्डशीट

विधा

- लघु भाषण व सामूहिक चर्चा।

संभावित अपेक्षाऐ

- सभी संभागी ग्राम स्वास्थ्य समिति के कार्यो के बारे में जानेगें।
- सभी संभागी इस समिति के उद्देंश्यों से परिचित हो पायेगें।

सन्दर्भ सामग्री

ग्राम स्वास्थ्य एंव स्वच्छता समिति के कार्य :

- सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जानकारी जन–जन तक पहुँचाना तथा उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित करना।
- ग्राम स्तर पर उपलब्ध सेवाओं का पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन करना जैसे – सेवाओं की आवश्यकता,उपलब्धता, गुणवत्ता, पहुँच, स्वास्थ्य प्रदाताओं की

उपस्थिति पहुँच, स्वास्थ्य प्रदाताओं की उपस्थिति एंव उनका ग्रामीणों के प्रति व्यवहार आदि।

- ❖ गाँव के स्वास्थ्य स्तर का आकलन करना व गाँव में रहने वाले लोगों की संख्या, घरों की संख्या, बी.पी.एल. परिवारों की संख्या, उनके धर्म एवं जाति, भाषा, आर्थिक स्थिति, रहन–सहन आदि के आधार परएक नजरी नक्शा तैयार करना। इस नक्शे में पानी के स्त्रोत, स्वच्छ शौचालय की उपलब्धता, सड़क संपर्क, बिजली की दशा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को प्राथमिक रूप से चिन्हित करना।

- ❖ सामान्यतः गाँव में समय–समय पर होने वाली बिमारियों व उनके कारकों का आकलन कर स्वास्थ्य आवश्यकताओं को गाँव की प्राथमिकताओं के आधार पर निर्धारित करना।

- ❖ आंकलन के आधार पर स्थानीय स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर चर्चा कर स्वास्थ्य के लिए उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये एक ग्राम स्वास्थ्य योजना का निर्माण कर उसकी क्रियान्विति करना। यह कार्य ए.एन.एम., आशा तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास उपलब्ध जानकारी, विद्यालयों में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर जन संवाद, मीडिया एवं स्थानीय संस्थाओं की सहभागिता से करना।

- ❖ स्वास्थ्य मुद्दों एवं समस्याओं का विश्लेषण कर संबंधित विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव देना जैसे ग्राम में प्रचलित व्यवहारों, रीति–रिवाजों (बाल–विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, लिंगभेद आदि), स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, परिवार कल्याण की सेवाओं से सम्बधित समस्याएं एवं चुनौतियां आदि।

- ❖ आपातकालीन प्रसव सेवाओं के लिए महिलाओं को नजदीकी अस्पताल में लेकर जाने के लिए उपलब्ध साधनों की जानकारी प्राप्त कर आवश्यकतानुसार व्यवस्था करवाना।

- ❖ आमजनों को स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी, गर्भवती महिलाओं, शिशुओं, बच्चों, बीमारों, गंभीर एवं लम्बी बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों के इलाज के बारे में जानकारी देने हेतु एक स्वास्थ्य विवरणिका तथा बोर्ड तैयार करवाना तथा उसे उपयुक्त स्थान पर रखना/लगवाना। बोर्ड पर अन्य जानकारीयाँ

दर्शाना जैसे गाँव में ए.एन.एम. व आशा की सेवाएं, उपस्थिति एवं निरंतरता आदि।

- सेवा प्रदाता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं जन स्वास्थ्य केन्द्र पर अपनी सेवाएं समय पर प्रदान करा रहे हैं यह सुनिश्चित करना। ए.एन.एम. व बहु–उद्देश्यीय सामुदायिक कार्यकर्ता (एम. पी. डब्ल्यु.) द्वारा किये गये कार्य की द्विमासिक समीक्षा करना।
- गाँव में होने वाली मातृ–मृत्यु, शिशु मृत्यु व अन्य असामयिक मृत्यु की चर्चा कर उसके कारणों का पता करना तथा इस तरह की घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिये प्रयास करना।
- स्वास्थ्य के लिए प्राप्त राशि का व्यय, गाँव की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए किस प्रकार प्रभावी रूप से किया जाये इसके लिए का उचित प्रबन्ध करना।

सत्र का नाम **अनटाइड फंड राशि**

उद्देश्य

- संभागियों को अनटाइड फंड राशि के बारें में बताना।
- अनटाइड फंड के उपयोग के बारे में सभी संभागियों को जानकारी देना।

समय

- 1घन्टा

विधा

- लघु चर्चा व सामूहिक चर्चा।

संभावित अपेक्षाऐ

- ❖ सभी संभागियों को अनटाइड फंड राशि के बारें में जानकारी प्राप्त हो जायेगी।
- ❖ अनटाइड फंड राशि का सही तरीके से उपयोग करनें मे मदद मिलेगी।

सन्दर्भ सामग्री

ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति में प्रति वर्ष ग्रामीणों के स्वास्थ्य की आवश्यकताओं के लिए 10000/–रू की राशि दी जाती है जिसे अनटाइड फंड के नाम से जाना जाता है।

इसका उपयोग निम्न कार्यों के लिए किया जा सकता है।

- ❖ ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य की गतिविधियों के लिए जैसे–स्वच्छता अभियान, विद्यालयों, आंगनबाडी में स्वास्थ्य की गतिविधियों व परिवार सर्वेक्षण आयोजन आदि के लिए एक वर्ष में 500/–रू तक की राशि खर्च की जा सकती है।
- ❖ स्वास्थ्य सेवाओं को जागरूकता बोर्ड, बैनर, दीवार पर चित्रांकन, यातायात साधनों जैसे– जीप, ट्रेक्टर आदि पर लिखित स्वास्थ्य संदेश, स्वास्थ्य के लिए नारों के लेखन कार्य हेतु 800/–रू तक की राशि प्रति वर्ष खर्च की जा सकती है।
- ❖ असाधारण परिस्थितियों में, अत्यन्त गरीब अथवा अनाथ बच्चों एवं महिलाओं के इलाज हेतु प्रयोग की जा सकती है।
- ❖ आपातकालीन परिस्थितियों जैसे– पेड़ से गिरना,आटा मशीन या क्रेशर मशीन आदि से अंगुलियां या हाथ कटना, जलना या अन्य दुर्घटना में रोगियों को अस्पताल लेकर जाने के लिए वाहन व्यवस्था हेतु खर्च की जा सकती है।
- ❖ प्राकृतिक आपदायें– जैसे अकाल, बाढ़, भूकम्प जैसी स्थिति मे स्वास्थ्य की देखभाल के लिएदवाइयों पर खर्च की जा सकती है।

- आशा सहयोगनी, ए.एन.एम, आंगनबाडी कार्यकर्ता,सहायिका ,महिला समूह के सदस्य स्थानीय एन.जीओ.के प्रतिनिधियों में से किसी एक व्यक्ति को साल में एक बार, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए 200 रू. तक का पुरस्कार दिया जा सकता है।
- आंगनबाडी केन्द्र एवं विद्यालय में शौचालय न होने पर शौचालय के निर्माण पर खर्च किया जा सकता है।
- हैण्डपम्प का चबूतरा एवं पानी निस्तारण की व्यवस्था तथा पानी के सदुपयोग हेतु वृक्षारोपण पर खर्च किया जा सकता है।
- पशुओं के पानी पीने हेतु खेली के निर्माण पर खर्च किया जा सकता है।
- खुले मे शौच को रोकने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था पर खर्च किया जा सकता है।
- मच्छरों की रोकथाम के लिए खर्च किया जा सकता है।
- वातावरण की स्वच्छता हेतु गंदगी एवं कचरे के निस्तारण व गंदे पानी के निकास हेतु खर्च किया जा सकता है।

प्रशिक्षण पूर्व व पश्चात् आकंलन प्रपत्र

प्रशिक्षण : ग्राम स्वास्थ्य समिति के सदस्यों के साथ

सदस्य का नाम :...

गॉव का नाम :... प्रशिक्षण की दिनांक:...............................

विशेष : सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य हैसहीं उत्तर के सामने सहीं का निशान लगायें व रिक्त स्थान भरें।

प्र.1 ग्राम स्वास्थय समिति का अध्यक्ष होता है?

उत्तर (क) संरपच (ख) ए.एन.एम (ग) ऑगनवाडी कार्यकर्ता (घ) ग्राम सेवक

प्र. 2 ग्राम स्वास्थय एंव स्वच्छता समिति का संयोजक होता/होती है ?

उत्तर (क) ए.एन.एम (ख) आशा (ग) ऑगनवाडी कार्यकर्ता (घ) संरपच

प्र. 3 ....की अनुपस्थिति में ऑगनवाडी कार्यकर्ता इस समिति में संयोजक होती /होता है ।

प्र. 4 इस समिति में कम से कम कितनें प्रतिशत महिला सदस्यों को सम्मलित किया जाता है ?

उत्तर (क) 20 प्रतिशत (ख) 30 प्रतिशत (ग) 50 प्रतिशत (घ) 70 प्रतिशत

प्र. 5 इस समिति में कुल कितने प्रतिनिधि होतें है ?

उत्तर (क) 5 (ख) 7 (ग) 11 (घ) 15

प्र. 6 ग्राम स्वास्थ्य व स्वच्छता समिति की बैठक की जाती है ?

उत्तर (क) एक माह में (ख) तीन माह में (ग) छः माह में (घ) एक वर्ष में

प्र. 7 ग्राम स्वास्थ्य व स्वच्छता समिति की बैठक ....दिवस पर आयोजित की जाती है।

प्र. 8 ग्राम स्वास्थ्य व स्वच्छता समिति को एक वर्ष के लिए कितनी राशि मिलती है ?

उत्तर (क) 5000 रू. (ख) 8000 रू. (ग) 10000 रू. (घ) 1500 रू.

प्र. 9 अनटाइड राशि एक वर्ष में कौन से माह तक खर्च करनी होती है ?

उत्तर (क) जनवरी तक (ख) अप्रेल तक (ग) मार्च तक (घ) सितम्बर तक

प्र.10 अनटाइड राशि किन–किन के संयुक्त हस्ताक्षर से निकाली जाती है ?

उत्तर (क) संरपच व ऑगनवाडी कार्यकर्ता (ख) आशा व ए.एन.एम (ग) संरपच व आशा (घ) संरपच व ए.एन.एम

प्र.11 ग्राम स्वास्थ्य एंव स्वच्छता समिति के बारे में आप क्या कहना चाहतें है।

उत्तर ....

....

....

प्र.12 आपकी इस प्रशिक्षण से क्या अपेक्षाऐं है?

उत्तर ....

....

प्र.13 आपकी ग्राम स्वास्थ्य व स्वच्छता समिति का गठन कब हुआ ?

उत्तर ....

प्र.14 आपकी ग्राम स्वास्थ्य व स्वच्छता समिति द्वारा अब तक किये गये कार्य ?

उत्तर ....

....

....

....

एक दिवसीय ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति प्रशिक्षण मॉड्युल

प्रशिक्षण कार्यक्रम

एक दिवसीय

समय	सत्र	सत्र का उद्देश्य	विधि
10.30 से 11.00 तक	स्वागत , परिचय व प्रशिक्षण संबंधी चर्चा	➢ संम्भागियों का स्वागत करना। ➢ परिचय के माध्यम से एक दूसरे को जानना। ➢ प्रशिक्षण के सम्बन्ध में उनकी समझ को जानना।	लघु भाषण व सामूहिक चर्चा।
11.00 से 11.30 तक	संस्था परिचय व संस्था कार्यो पर चर्चा।	➢ सभी सम्भागियों को संस्था व उसके उद्देश्यो के बारें में जानकारी देना।	चर्चा
11.30 से 1.00 तक	ग्राम स्वास्थ्य व स्वास्थ्य समिति के बारे में चर्चा। ➢ समिति क्या है। ➢ सदस्य कौन–कौन होतें है।	➢ समिति के बारें में स्पष्ट समझ बनाना। ➢ सदस्यों के बारें में सम्भागियों की समझ को स्पष्ट करना।	लघु भाषण ,सामूहिक चर्चा व कार्डशीट पर प्रस्तुतीकरण करना।
1.00 से 1.30 तक भोजन व विश्राम			
1.30 से 2.00 तक	ग्राम स्वास्थ्य व स्वास्थ्य समिति द्वारा अब तक किये गये कार्यो पर चर्चा।	➢ सभी सम्भागियों को अब तक किये गये कार्यो के बारे में जानकारी प्राप्त होगी।	सामूहिक चर्चा
2.00 से 3.00 तक	ग्राम स्वास्थ्य व स्वास्थ्य समिति के कार्यो व उद्देश्यों के बारे मे चर्चा	➢ सभी संम्भागियों को कार्यो व उद्देश्यो के बारे में जानकारी प्राप्त होना।	सामूहिक चर्चा व कार्डशीट पर प्रस्तुतिकरण
3.00 से 4.00 तक	अनटाइड राशि व उपयोग पर चर्चा	➢ सभी सम्भागियों की इस राशि के उपयोग सम्बन्धी समझ बनाना।	लघु भाषण व सामूहिक चर्चा।
4.00 से 4.30 तक	फिड बैक व समापन	➢ प्रशिक्षण के बाद सम्भागियों की समझ को जानना।	सामूहिक चर्चा